Petronet LNG Limited

Regd. Office: World Trade Centre, Babar Road, Barakhamba Lane, New Delhi – 110001
Phone: 011-23411411, **Fax:** 011- 23472550, **CIN:** L74899DL1998PLC093073
Email: investors@petronetlng.in, **Company's website:** www.petronetlng.in
PAN: AAACP8148D GST: 07AAACP8148D1ZI

ND/PLL/SECTT/REG. 30/2024

22nd October 2024

The Manager
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai – 400 001

The Manager
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex
Bandra East, Mumbai – 400 051

Sub: Intimation under Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 – Newspaper Advertisement regarding Notice of Postal Ballot, cut-off date, e-voting and other details relating to Postal Ballot

Dear Sir / Madam,

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of newspaper clipping with respect to information regarding Notice of Postal Ballot, cut-off date, e-voting and other details relating to Postal Ballot being conducted by Petronet LNG Limited, published in The Indian Express (English) and Dainik Jagran (Hindi) on 22nd October 2024.

This is for information and records please.

Thanking you,

Yours faithfully

Rajan Kapur
Digitally signed by Rajan Kapur
Date: 2024.10.22 10:23:40 +05'30'

(Rajan Kapur)
Company Secretary

Encl: as above

3 arrested for posing as DDA officials, selling plots

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, OCTOBER 21

THREE MEMBERS of a land-grabbing gang have been arrested for allegedly forging documents for Delhi Development Authority (DDA) land plots and selling the same to unsuspecting buyers, police said.

The three men — Madan Mohan Sharma (61), Deepak (40), and Anil Kumar (46) — were arrested on October 18. They were involved in creating forged perpetual leases, e-stamp certificates, DDA forms, sale deeds, and counterfeit stamps of DDA officials, said police.

On July 15, 2023, the sub-registrar's office had approached the police alleging that a man named Sanjay Mathur had filed a complaint with it in regard to a forged conveyance deed for a plot executed in his favor. Mathur had alleged that that the three men, posing as DDA employees, had lured him into purchasing a DDA plot for Rs 85 lakh. When Mathur attempted to register the plot at the sub-registrar's office, the documents were found to be fake.

"During interrogation, Anil Kumar disclosed that they used to conduct recce of abandoned DDA land and after selecting one, prepared forged documents for the same," said South West DCP Surendra Choudhary.

"They would then introduce themselves as DDA officials to prospective buyers and convince them to buy the plot. To gain their trust, they also used to hand over perpetual leases, a copy of an e-stamp certificate, DDA form, and other documents to the buyer and took a huge sum of money from the buyer," he added.

The police have recovered several incriminating materials, including forged DDA documents, stamps, and sale deeds from the accused. Efforts are underway to arrested the remaining accomplice, Pradeep, said an officer.

At 310 AQI, Delhi most polluted city in country

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, OCTOBER 21

WITH DELHI'S air quality entering the 'very poor' category on Monday with an air quality index (AQI) of 310 — up from Sunday's 277 in the 'poor' category — 11-point action plan as per Stage II of the Graded Response Action Plan (GRAP) has kicked in.

The action plan will be in force in addition to the Stage I GRAP, which has already been implemented. GRAP, a set of emergency measures to curb air pollution, is invoked by the Commission for Air Quality Management (CAQM) in NCR and adjoining areas.

The campaign was launched from ITO. *Abhinav Saha*

According to data from the Central Pollution Control Board (CPCB), the Capital reported the worst 24-hour average AQI at 310 in the entire country, on Monday.

Meanwhile, Delhi Environment Minister Gopal Rai on Monday launched the 'Red Light On-Gaadi Off" campaign from ITO, urging drivers to reduce pollution by turning off their vehicles' engines when the traffic light turned red. Stating that the main causes of increasing pollution in the Capital are biomass burning, dust and vehicular emissions, a statement by the office of the minister said the campaign aims to address these issues.

The Delhi Metro, meanwhile, will run additional services during the implementation of GRAP Stage II and III to accommodate additional passengers, the DMRC said. While 40 additional services will be run on weekdays during Stage II, Stage III will see 60 extra trips.

STAGE II GRAP KICKS OFF: 11-POINT ACTION PLAN

Praveen Khanna

- Mechanical or vacuum sweeping and water sprinkling of identified roads daily.
- Water sprinkling and use of dust suppressants every alternate day during non-peak hours on roads, along with proper disposal of dust collected in designated sites/landfills.
- Intensify inspections for strict enforcement of dust control measures.
- Targeted action for abatement of air pollution in all hotspots. Intensify remedial measures for predominant sectors contributing to adverse air quality in each hotspot.
- Ensure uninterrupted power supply to discourage use of DG sets, etc.
- Implement schedule for regulated operations of DG sets across all sectors, including industrial, commercial, residential and offices.
- Synchronise traffic movements and deploy adequate personnel for smooth flow of traffic.
- Alert in newspapers, TV, radio to advise people about air pollution levels and implement do's and don'ts to minimise polluting activities.
- Enhance parking fees to discourage private transport.
- Augment CNG, electric bus and Metro services by inducting additional fleet, increasing frequency.
- Resident welfare associations to provide electric heaters to security staff to avoid open bio-mass and municipal solid waste burning during winter.

Animal rights body moves HC against transfer of captive elephant to Delhi

SOHINI GHOSH
NEW DELHI, OCTOBER 21

THE DELHI High Court will on October 24 hear the Federation of Indian Animal Protection Organisations (FIAPO) challenging the transfer of captive elephant Ranjitha from Jorhat in Assam to a temple at Sainik Farms in Delhi.

The Indian Express had reported on October 17 that a temple atop a four-storey residential apartment in south Delhi's Greater Kailash could soon be the owner of an elephant that it proposes to get from Assam. The Maa Baglamukhi Temple has "ear-marked" 1.5 acres in the Sainik Farm to keep the elephant.

Referring to *The Indian Express* report, which was also annexed in the application, FIAPO submitted on Monday that the transfer "rings alarm bells and highlights that the current rules, through their silence and lack of clarity on what constitutes religious or any other purpose, potentially permits largescale transfer of elephants across the country by disregarding the best interest of the elephant".

The petitioner also highlighted an *The Indian Express* report from October 3 on the declining elephant population.

Further, FIAPO said that Sainik Farms is an area that suffers from acute water shortage. "...the declining air quality and the drastic differences with the elephant's natural habitat would pose serious challenges to the well being of the elephant," it added.

A temple in a South Delhi flat is set to get an elephant, all the way from Assam

The October 17 report

While allowing an application moved on Monday by FIAPO seeking early hearing, the court added the chief wildlife warden of New Delhi as a party to the case. Further, FIAPO filed a plea seeking a stay on the transfer of the elephant.

A division bench of Chief Justice Manmohan and Justice Tushar Rao Gedela directed the authorities to produce the original file pertaining to Ranjitha's transfer. The Union of India was also directed to obtain instructions on the current location of the elephant.

The pleas were moved in an existing petition filed by the FIAPO where it has challenged the constitutionality of Section 43 (2) of the Wildlife (Protection) Act, 1972, which permits the transfer or transport of captive elephants for "religious or any other purpose" by a person having a valid certificate of ownership, subject to terms and conditions. The petition also challenged the Captive Elephant (Transfer or Transport) Rules, 2024.

REMARKS ABOUT PM'S DEGREES

Defamation case: SC rejects Kejriwal plea over summons

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, OCTOBER 21

THE SUPREME Court on Monday dismissed AAP leader and Delhi former chief minister Arvind Kejriwal's plea challenging the summons issued to him in a criminal defamation case filed over his "sarcastic" and "derogatory" remarks about the educational degrees of PM Narendra Modi.

A court pointed out that it had already rejected a similar plea by AAP Rajya Sabha MP Sanjay Singh, who is also a co-accused in the case, on April 8, 2024.

"...Bearing in mind the said decision... in the related matter of a person facing the same proceeding, we are disinclined to entertain this matter. The special leave petition is accordingly dismissed," the court said. The bench, however, clarified, "We have not pronounced on the merit of the contention of either side and all contentions are left open."

The case was filed by Gujarat University against the two AAP leaders.

Spl courts for people with disabilities: CM

New Delhi: The Delhi government has approved a proposal to set up special courts for people with disabilities to ensure that they receive fair and swift justice, Chief Minister Atishi said Monday.

The courts will be designed to accommodate the specific needs of individuals with disabilities.

"...We are taking a crucial step towards reforming the judicial system to better serve the interests of people with disabilities," Atishi said. **ENS**

ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY, ALIGARH
An Institution of National Importance listed in the Schedule VII of the Constitution of India
ADVERTISEMENT NO. 02/2024(T) Dated 19.10.2024

Online Applications, to be filled up at the Careers Portal of the University **https://careers.amuonline.ac.in**, are invited from Indian Nationals (including Overseas Citizen of India (OCI) Cardholders under Section 7A of the Citizenship Act, 1955) for recruitment to various Teaching Posts. Last date for receipt of Online Application Forms is 19.11.2024 up-to 11:59 P.M. and the last date for submission of the Hard Copy of the Online filled Application Forms is 29.11.2024 up-to 05:00 P.M. The Hard Copies will not be received after 29.11.2024 (05:00P.M.). The University will not be responsible for the Postal delay.
Detailed Instructions for filling up the employment application forms have been given on Pages 17, 18 and 19 of the above Advertisement. **REGISTRAR**

Advertisement No. 108/2024
Government of India
Public Enterprises Selection Board
invites applications for the post of
Chairman & Managing Director
in
Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL)
Last date of submission of application by applicants is by 15:00 hours on
15th November, 2024
Last date of forwarding of applications by the Nodal Officers to PESB is by 15:00 hours on
25th November, 2024.
For details login to website https://pesb.gov.in

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF STATE TAX
UPPER NATHANPUR, RING ROAD, NEAR PULIA NO-6, DEHRADUN
VACANCY NOTICE
1. Applications are invited to fill the vacancy for Technical Member (State) of the Goods and Services Tax Appellate Tribunal (GSTAT) in the State Bench to be located at Dehradun.
2. The details of the vacancy is below as:

Post	Bench	No. of Post
Technical Member (State)	State Bench (Dehradun)	1

3. Interested candidates shall apply online on ***https://gstn.org.in/gstat-state-application/#/home*** in the prescribed form along with necessary documents.
4. The start date for submitting Application is **21st October, 2024** and the last date for the same is **5:00 PM** on **20th November, 2024.**
5. Detailed Advertisement and prescribed application form can be downloaded from the website of State Tax Department of Uttarakhand (***https://gst.uk.gov.in***)

Commissioner State Tax, Uttarakhand

इरकॉन **IRCON INTERNATIONAL LIMITED**
Navratna Company
(A Govt. of India Undertaking)
Website : www.ircon.org, CIN –L45203DL1976GOI008171
e-Tender notice
e-tender number: - 1. IRCON/3018/DFCCIL-CTP-12/e-Tender/Solar Water Heater/08-498 Dated 22.10.2024
Tenders in Two Stage bid System are Invited from bidders meeting qualifying requirement for the work in ref to above tender no. as under:
1. "Supply of WDFC approved Waasol make Solar Water Heater including Installation, Commissioning, Transportation, Loading & Unloading for Stations building, Service building IMD building and Staff quarters at DFCCIL-CTP-12 Project in b/w Vaitarana - Sachin of Western Dedicated Freight Corridor, Phase-II".
All the above materials procurement is for WDFC project CTP-12 between Sachin to Vaitarana.
Estimated Cost for e-tender no. 1 (Including all taxes & GST): Rs. 21,63,600/-
Last date & Time of Bid Submission: for sl. 1. 12.11.2024 up to 15:00 Hours
For Further details, Visit website at **https://www.etenders.gov.in/eprocure/app**. Corrigendum if any would be hosted only on the web site.
For any clarification Contact the office of Undersigned on following address:
General Manager, IRCON INTERNATIONAL LIMITED, Plot no. 1/7/2, Vaishnav Nagari, Nr. Ayappa Temple, Atul- Parnera Road, Parnera, Distt. Valsad, Gujarat. 396007, Email: **shachish.sinha@ircon.org, ircon.3018@ircon.org**

Petronet LNG Limited
Regd. Office: World Trade Centre, Babar Road, Barakhamba Lane, New Delhi – 110001
Phone: 011-23411411, **CIN:** L74899DL1998PLC093073
Email: investors@petronetlng.in, **Company's website:** www.petronetlng.in
PAN: AAACP8148D **GST:** 07AAACP8148D1ZI

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Notice is hereby given that the Company is seeking approval of its Members for the appointment of a Director as detailed in the Notice of Postal Ballot.

Detailed Postal Ballot Notice, together with Explanatory statement and instructions for e-voting are available on the Company's website **www.petronetlng.in**, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at **https://www.bseindia.com** and National Stock Exchange of India Limited at **https://www.nseindia.com** respectively and on the website of e-voting agency i.e. National Securities Depository Limited (NSDL) at **www.evoting.nsdl.com**.

The Postal Ballot is conducted in accordance with Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ('Act'), read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, ('Rules') and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The Ministry of Corporate Affairs, through General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 8, 2021, 3/2022 dated May 5, 2022, 11/2022 dated December 28, 2022, 09/2023 dated September 25, 2023, 09/2024 dated September 19, 2024 and other relevant circulars and notifications issued by the Ministry of Corporate Affairs (hereinafter collectively referred to as 'the MCA Circulars'), has permitted companies to conduct the postal ballot by sending the notice in electronic form only.

The Company had already intimated of the opportunity being given to its Members and mechanism available to them to register their email addresses, so that various communication(s) can be sent to them through email.

Members who have not registered their e-mail address are requested to get their e-mail registered with the concerned Depository, in case of shares held in dematerialized mode or with Registrar and Share Transfer Agent of the Company ("RTA"), Bigshare Services Private Limited in case of shares held in physical mode. Post successful registration of the e-mail, Members may request to get postal ballot notice and the procedure for e-voting to enable voting for this Postal Ballot by sending an email to **investor@bigshareonline.com**.

The postal ballot notice and the e-voting instructions along with the user ID and password has been sent by email to those Members whose email addresses are registered with the Company/ RTA/ concerned Depository Participants and whose names appear in the Register of Members/ List of Beneficial Owners as on Friday, October 18, 2024 (the "Cut-off date"). The email process has been completed on Monday, October 21, 2024.

The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) to provide remote e-voting facility to its Members. The remote e-voting period shall commence from 9:00 a.m. (IST) on Friday, October 25, 2024 and shall end at 5:00 p.m. (IST) on Saturday, November 23, 2024. The e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. Voting rights of Members shall be in proportion to the shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on cut-off date i.e. Friday, October 18, 2024. Communication of assent or dissent of the Members would take place only through the remote e-voting system. Only those Members whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date will be entitled to cast their votes by remote e-voting. Once the vote is cast by the Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL at **evoting@nsdl.co.in** or call on 022- 4886 7000.

The Board of Directors of the Company has appointed M/s Agarwal S. & Associates, Practising Company Secretaries, Delhi (Firm Reg. No.: P2003DE049100) as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process.

The resolutions, if passed with requisite majority by the members through Postal Ballot, shall be deemed to be passed on the last date of the voting period i.e. on November 23, 2024.

The result of the voting by Postal Ballot will be announced on or before Tuesday, November 26, 2024 and shall be available on the Company's website at **www.petronetlng.in**, on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at **https://www.bseindia.com/** and National Stock Exchange of India Limited at **https://www.nseindia.com/** and on the website of NSDL at **www.evoting.nsdl.com**.

General appeal to Members
- We solicit your valuable cooperation and support in our endeavour to contribute our bit to the environment. We appeal to members to register/update their email addresses with their Depository Participant (DP) (if shares are held in electronic mode) or RTA/Company (if shares are held in physical mode) for receiving communications from the Company.
- It is requested that members should avail the National Automated Clearing House (NACH) facility i.e. direct credit of dividend amount in their bank account by updating bank details with their Depository Participant (DP) (if shares are held in electronic mode) or RTA/Company (if shares are held in physical mode).
- Pursuant to various SEBI circulars, the listed companies shall henceforth issue the securities in dematerialized form only while processing service requests for issue of duplicate securities certificate, claim from Unclaimed Suspense Account, renewal / exchange of securities certificate, endorsement, sub-division/ splitting of securities certificate, consolidation of securities certificates/folios, transmission and transposition purposes. Accordingly, Members holding shares in physical form are requested to get their holdings converted into dematerialised mode.
- Members holding shares in physical mode are requested to note that Securities and Exchange Board of India vide circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 dated November 3, 2021 has mandated to update PAN, KYC details containing address, mobile number, e-mail address, bank account details and nomination details with the Company/ RTA. Members holding shares in physical mode, who have not registered their above particulars, are requested to register the same with the Company/ RTA at the earliest.

By order of the Board
For Petronet LNG Limited
Sd/-
(Rajan Kapur)
Company Secretary

Place : New Delhi
Date : 21.10.2024

DELHI POLLUTION CONTROL COMMITTEE
DEPARTMENT OF ENVIRONMENT (GOVT OF NCT OF DELHI)
5TH FLOOR, ISBT BUILDING, KASHMERE GATE, DELHI 110006
www.dpcc.delhigovt.nic.in

PUBLIC NOTICE
Quality of air can be improved if we all work together!
***Actions which we can do as per Air Quality Index (AQI)**

STAGE I — POOR (AQI between 201-300)
CITIZEN CHARTER
- Keep engines of your vehicles viz. cars/ bikes/ scooters etc. properly tuned.
- Maintain proper air pressure in tyres of your vehicles.
- Keep PUC certificates of your vehicles up to date.
- Do not idle your vehicle, also turn off the engine at red lights.
- Do not dispose waste /garbage in the open spaces.
- Report air polluting activities through Green Delhi App, 311 App, SAMEER App.
- Prefer Hybrid vehicles or EVs to control vehicular pollution.
- Plant more trees.
- Celebrate festivals in an eco-friendly manner – avoid firecrackers.
- Do not drive/ply end of life /10/15 years old Diesel/Petrol vehicles.

HEALTH ADVISORY
- Avoid outdoor physical activities

STAGE II — VERY POOR (AQI between 301-400)
CITIZEN CHARTER
- People to use public transport and minimize use of personal vehicles.
- Regularly replace air filters at recommended intervals in your automobiles.
- Avoid dust generating construction activities during months of October to January.
- Use technology, take less congested route even if slightly longer.
- Avoid open burning of solid waste and bio-mass.

HEALTH ADVISORY
- Avoid outdoor physical activities, especially during morning and late evening hours.
- Remain indoor and keep activity levels low#

STAGE III — SEVERE (AQI between 401-450)
CITIZEN CHARTER
- Walk or use cycles for small distances.
- Choose a cleaner commute. Share a ride to work or use public transport.
- People, whose position allow working from home, may work from home.
- Do not use coal and wood for heating purpose.
- Individual house owners may provide electric heaters (during winters) to security staff to avoid open burning.
- Combine errands and reduce trips.

STAGE IV — SEVERE+ (AQI >450)
CITIZEN CHARTER
- Children, elderly and those with respiratory, cardiovascular, cerebrovascular or other chronic diseases to avoid outdoor activities and stay indoors, as much as possible.

HEALTH ADVISORY (Stages III and IV)
- Avoid outdoor physical activities.
- Remain indoor and keep activity levels low#

AQI can be seen at CPCB WEBSITE/SAMEER APP
* As per citizen charter of Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas.
\# For vulnerable population – Children under 5 year age, old age groups, pregnant women, predisposed health conditions ie illness of respiratory, cardiovascular and cerebrovascular systems, outdoor working people
Health advisory of Ministry of Health & Family Welfare, GoI is available at https://ncdc.mohfw.gov.in/wp-content/uploads/2024/07/Enclosure-Air-Pollution-Health-Advisory-Oct-2023.pdf
DPCC_pollution
Member Secretary

मुख्यमंत्री नायडू और स्टालिन को नहीं अच्छे लग रहे 'दो ही बच्चे'

अमरावती, प्रेट्र: एक तरफ जहां भारत दुनिया की सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश का तमगा हासिल कर चुका है और देश में जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता है, वहीं दक्षिणी राज्यों के प्रमुख ऐसा नहीं सोचते। आंध्र प्रदेश की घटती जन्मदर का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जनसंख्या को संतुलित करने के लिए प्रदेश की महिलाओं से कम से कम दो बच्चे पैदा करने का आह्वान किया है। जहां उनकी इस टिप्पणी का प्रदेश कांग्रेस ने स्वागत किया है तो विरोधी वाईएसआरसीपी ने सीएम के दृष्टिकोण पर सवाल उठाए हैं। वहीं, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने संसदीय परिसीमन के चलते लोगों से परिवार को बढ़ाने की बात कही।

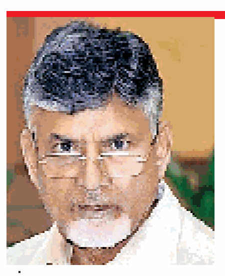
चंद्रबाबू नायडू

- चंद्रबाबू नायडू ने कहा-दो से ज्यादा बच्चे वाले ही लड़ पाएंगे चुनाव, मिलेगा लाभ
- तमिलनाडु के सीएम बोले-दक्षिण में संसदीय सीटें कम न हों, इसलिए पैदा करें 16 बच्चे

एमके स्टालिन

नायडू ने कहा, 2047 तक हमारी जनसांख्यिकी बेहतर होगी और ज्यादा युवा होंगे, लेकिन 2047 के बाद, बूढ़े लोग अधिक। यदि दो से कम बच्चे (प्रति महिला) पैदा होंगे, तो जनसंख्या कम हो जाएगी। यदि आप (प्रत्येक महिला) दो से अधिक बच्चों को जन्म देंगी तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। प्रदेश की जन्मदर गिरकर 1.6 पहुंच गई है और ऐसा जारी रहा तो यह एक या इससे भी कम हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप समाज में केवल बुजुर्ग ही दिखाई देंगे। भविष्य में ऐसा न हो, इसलिए ज्यादा बच्चे पैदा करने को जिम्मेदारी समझें। अपने पिछले जनसंख्या नियंत्रण के आह्वान को लेकर सीएम ने दावा किया कि लोगों ने बात मानते हुए 10 वर्षों में जन्मदर कम कर दी, जिससे अब जनसंख्या कम होने का खतरा है। पहले दो से अधिक बच्चे वालों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोक दिया था, लेकिन अब उन शर्तों को हटाने और केवल दो से अधिक संतान वालों को ही चुनाव लड़ने में सक्षम बनाने के लिए कानून लाने की कसम खाई है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष कोलानुकोंडा शिवाजी ने कहा कि परिसीमन के तहत हमारे क्षेत्र (दक्षिण भारत) में संसद की सीटें कम होकर उत्तरी राज्यों में जुड़ जाएंगी। इसलिए समय नहीं है। जब यहां जनसंख्या बढ़ेगी, तो हमारी सीटें हमारे पास ही रहेंगी।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने 16 बच्चों की बात कही

तमिलनाडु के सीएम ने एक तमिल कहावत की ओर इशारा करते हुए कहा कि लोकसभा परिसीमन की कवायद लोगों को 16 बच्चों के बारे में सोचने पर मजबूर कर सकती है। संसदीय परिसीमन लोगों को कई बच्चे पैदा करने और छोटे परिवार से मुंह मोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। पहले बुजुर्ग नवविवाहितों को 16 प्रकार की संपत्ति प्राप्त करने का आशीर्वाद देते थे, न कि 16 बच्चों का।

'समाजवादी' व 'सेकुलर' पर छिड़ी बहस

- वक्फ बिल की बैठक में विपक्षी सांसदों ने मंशा पर उठाया सवाल
- जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में यह बैठक आज भी जारी रहेगी

नई दिल्ली, प्रेट्र: वक्फ (संशोधन) बिल पर संसदीय समिति की बैठक के दौरान सांसदों के सवालों के जवाब देते हुए अल्पसंख्यक मंत्रालय ने गहन प्रस्तुति दी। इस दौरान कुछ विपक्षी सांसदों ने इस बात पर बहस की कि मंत्रालय ने इतने सालों में इस नए कानून पर कभी विचार-विमर्श क्यों नहीं किया। भाजपा सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में यह बैठक मंगलवार को भी जारी रहेगी।

वक्फ का मुद्दा सुलझाने को हो रही बैठक में 1976 में संविधान में समाजवादी व सेकुलर शब्दों को जोड़ने संबंधी कदम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने संबंधी याचिकाओं पर बहस छिड़ गई। दोनों तरफ से हुई गरमागर्मी में विपक्षी सांसदों ने संसदीय समिति के उस फैसले पर सवाल उठाया जिसमें यह याचिकाएं लगाने पर कुछ भाजपा सांसदों ने प्रतिक्रिया दी। एक भाजपा सांसद ने कहा कि किसी भी प्रस्तावित कानून में सभी भारतीय साझीदार हैं। इसलिए समिति को यह अधिकार है कि वह अमूल्य सुझावों के लिए किसी भी व्यक्ति को बुला सकती है जो उस संबंध में बेहतर सुझाव दे सकते हैं।

वक्फ संशोधन बिल पर चंद्रशेखर के बयान का किया विरोध

जासं, नई दिल्ली : उप्र के नगीना से सांसद चंद्रशेखर द्वारा जंतर-मंतर पर वक्फ संशोधन बिल पर भाषण के दौरान मुस्लिमों की नाराजगी का वीडियो प्रसारित हो रहा है। आजाद समाज पार्टी ने रविवार को वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन का आयोजन किया था। वीडियो में दिख रहा है कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ भाषण के दौरान मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग चंद्रशेखर को रोकने लगते हैं। वह चंद्रशेखर से कह रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करते हैं। विरोध कर रहे शकील सैफी पहले कांग्रेस में थे।

गढ़चिरौली में मुठभेड़ में पांच नक्सली ढेर

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : छत्तीसगढ़ के नारायणपुर व महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले की सीमा पर सोमवार को हुई मुठभेड़ में पांच नक्सली ढेर हो गए हैं। इनमें तीन महिला नक्सली भी शामिल हैं। मृत नक्सलियों की अभी पहचान नहीं हुई है। गढ़चिरौली के पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल ने मुठभेड़ और मृत नक्सलियों की संख्या की पुष्टि की है। पुलिस के अनुसार महाराष्ट्र में चुनाव के पहले हिंसा फैलाने का षड्यंत्र रच रहे नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चलाकर यह कार्रवाई की गई। मुठभेड़ कोपरशी वन क्षेत्र की भामरागढ़ तहसील में हुई है।

पुलिस ने बताया कि सीआरपीएफ, महाराष्ट्र पुलिस के सी-60 कमांडो की टीम को दो स्थानों पर नक्सली विरोधी अभियान के लिए रवाना किया गया था। सुरक्षा बल के जंगल में पहुंचते ही नक्सलियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई के बाद इलाके से पांच नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। वन क्षेत्र में पुलिस का तलाशी अभियान जारी है।

दंतेवाड़ा में दो-दो लाख के दो इनामी सहित तीन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। तीनों मलंगीर एरिया कमेटी में सक्रिय थे। एसपी ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले आयता और हिड़मा माड़वी पर दो-दो लाख रुपये का इनाम था। जिले में अब तक 204 इनामी सहित कुल 880 नक्सली आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में जुड़ चुके हैं।

उड़ानों पर अफवाह को कड़े होंगे कानून, अब नो फ्लाई लिस्ट में डाले जाएंगे दोषी

विमानों में बम की अफवाह से निपटने को सरकार हुई सक्रिय

नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू

- नागरिक उड्डयन मंत्री ने कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रविधान का एलान किया
- गृह सचिव ने सीआइएसएफ और बीसीएएस के महानिदेशकों के साथ की बैठक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: विमानों में बम की अफवाह की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए केंद्र सरकार सक्रिय हो गई है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रविधान करने का एलान किया, जिसमें दोषियों को नो फ्लाई लिस्ट में डालना भी शामिल है। वहीं, गृह सचिव गोविंद मोहन ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के महानिदेशकों और खुफिया ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। पिछले एक सप्ताह में सौ से अधिक विमानों में बम की अफवाह की घटनाएं सामने आई हैं।

अनुमान के अनुसार, बम की अफवाह के बाद एक विमान की तलाशी से लेकर इसे पूरी तरह सुरक्षित करने के दौरान विमानन कंपनी को तीन करोड़ रुपये तक का नुकसान होता है। बम की अफवाहों के पीछे गहरी साजिश की आशंका जताई जा रही है।

बैठक में सीआइएसएफ के महानिदेशक ने हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिए बरती जा रही चौकसी का ब्योरा दिया। वहीं बीसीएएस के महानिदेशक ने बताया कि इन मामलों की गहराई से जांच कर सच्चाई का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। राममोहन नायडू ने कहा, बम की अफवाह फैलाने वालों को नो फ्लाई लिस्ट (विमान से यात्रा पर रोक) में डालने व इसे गैर-जमानती अपराध बनाने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए 1982 के नागरिक उड्डयन सुरक्षा कानून से जुड़े गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के प्रविधानों में संशोधन किया जा सकता है।

ब्रिटेन, अमेरिका और आस्ट्रिया से जुड़ रहे धमकी के तार

मिड-डे, मुंबई: विमानों में बम होने की फर्जी धमकी देने वाले आरोपित सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा भारतीय विमानों को निशाना बनाकर एक्स और हाटमेल के जरिये भेजे गए कई फर्जी संदेशों की जांच कर रही है। अधिकारियों ने कुछ इंटरनेट मीडिया हैंडल और ईमेल पतों की जानकारी हासिल करने को एक्स व हाटमेल से संपर्क किया है। विमानों को धमकी के तार ब्रिटेन, अमेरिका और आस्ट्रिया से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। इन धमकियों के लिए जिम्मेदार अपराधी अत्यधिक सुरक्षित वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) का उपयोग कर रहे हैं, जिससे अकाउंट की उत्पत्ति का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। विशेषज्ञों का दावा है कि आरोपित को इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म, सुरक्षा एजेंसियों व वीपीएन प्रदाताओं जैसे अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के सहयोग से ही गिरफ्तार किया जा सकता है। मामले की जांच से परिचित एक अधिकारी ने बताया कि इंटरनेट मीडिया हैंडल से जुड़े आइपी एड्रेस की जांच की जा रही है। अपराधियों ने कई सुरक्षा परतों का इस्तेमाल किया है।

'उड़ान' ने भारत के विमानन क्षेत्र को बदल दिया है : मोदी

नई दिल्ली, प्रेट्र: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कहा कि सरकार की 'उड़ान' योजना ने भारत के विमानन क्षेत्र को बदल दिया है। इस योजना का उद्देश्य छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोड़ना और विमान यात्रा को और अधिक किफायती बनाना है। मोदी ने 'उड़े देश का आम नागरिक' (उड़ान) योजना के आठ वर्ष पूरे होने पर कहा कि इससे हवाई अड्डों और हवाई मार्गों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि करोड़ों लोगों को विमान यात्रा की सुविधा मिल सके। इसका व्यापार को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय विकास को आगे बढ़ाने पर बड़ा प्रभाव पड़ा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ● फाइल फोटो

आने वाले समय में हम विमानन क्षेत्र को मजबूत करते रहेंगे और लोगों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने सोमवार को कहा कि सरकार क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना 'उड़ान' को 10 और वर्षों के लिए बढ़ाएगी।

ओबीसी को साधने के लिए केंद्र सरकार अब लगाएगी सारे दांव

- उनसे जुड़े सभी लंबित मुद्दों को हल करने की पहल तेज
- छात्रवृत्ति पात्रता दायरे को भी मिलेगा विस्तार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : हरियाणा विधानसभा चुनाव में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) के साथ आने से मिली जीत से उत्साहित केंद्र सरकार अब ओबीसी को साधने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रही। ओबीसी से जुड़े उन मुद्दों को तेजी से सुलझाने में जुट गई है, जो वर्षों से लंबित थे। इनमें ओबीसी छात्रों को मिलने वाली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता के दायरे को विस्तार देने का भी मुद्दा था। इसमें अभी सिर्फ ढाई लाख रुपये सालाना आय वाले परिवारों के बच्चे ही पात्र थे, लेकिन सरकार अब पात्रता के दायरे को आठ लाख सालाना करने की तैयारी में है। क्रीमीलेयर की आयु सीमा बढ़ाने पर भी विचार चल रहा है।

अगले माह महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि केंद्र की इस पहल का बड़ा लाभ उसे महाराष्ट्र के चुनावों में मिल सकता है, जहां ओबीसी की बड़ी संख्या है। केंद्र ने ओबीसी को साधने के लिए क्रीमीलेयर के दायरे को भी विस्तार देने की पहल की है।

चोरी के 25 लाख रुपये के जेवरों पर पुलिस का 'डाका', थानाध्यक्ष समेत चार निलंबित

जासं, कानपुर: शिक्षिका के यहां से करीब 25 लाख रुपये के जेवर चोरी कर चोरों ने सर्राफ को बेच दिए। पुलिस ने माल बरामद करने के बाद हड़प लिया। पुलिस आयुक्त ने जांच कराई तो आरोप सही निकले। सोमवार को थानाप्रभारी विजय दर्शन शर्मा, एक दारोगा और दो सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया।

कानपुर में बर्रा निवासी शालिनी दुबे फतेहपुर के जहानाबाद स्थित कंपोजिट विद्यालय में शिक्षिका हैं। उनके पति प्रदीप कुमार बीएसएफ में हैं और सिलीगुड़ी में तैनात हैं। शालिनी 31 सितंबर को भोज में शामिल होने घाटमपुर गई थीं। देर रात घर लौटीं तो 25 लाख के जेवर चोरी होने की जानकारी हुई। पुलिस को एक फुटेज मिली, जिसमें तीन युवक उनके घर की तरफ जाते दिखे। मामले में एक चोर को गिरफ्तार किया गया। बाद में दूसरा चोर भी पकड़ा गया, जबकि तीसरा अब तक फरार है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
(भारत सरकार का सांविधिक निकाय)
(शिक्षा मंत्रालय)
नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली- 110070
वेबसाइट: www.aicte-india.org फोन नं. 011-29581000

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (अभातशिप) आईआरडीएआई - लाइसेंस प्राप्त और पंजीकृत बीमा प्रदाताओं (निजी और सार्वजनिक दोनों) से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करता है। इच्छुक बीमा प्रदाताओं से समूह बीमा योजनाओं के लिए अपने प्रस्ताव दिनांक 11.11.2024 शाम 05 बजे तक प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है।

सभी प्रासंगिक विवरण, जिनमें मुख्य विशेषताएं, नियम और शर्तें, विशेष प्रावधान और अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के लिए आवश्यक दस्तावेज शामिल हैं, दिनांक 21.10.2024 से अभातशिप की वेबसाइट- https://bit.ly/4h3jVd4 पर उपलब्ध होंगे। बीमा प्रदाताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे संदर्भित लिंक अनिवार्यतः देख लें।

अभातशिप को किसी भी समय यह अनुरोध संशोधित या रद्द करने का पूर्ण अधिकार है।

प्रो० राजीव कुमार
सदस्य सचिव, अभातशिप

विज्ञापन सं.- प्रशासन (कार्मिक)/अभातशिप/10(01)/2024
CBC 21300/12/0012/2425

दारुल उलूम परिसर में महिलाओं के भ्रमण पर लगी रोक हटी

जासं, देवबंद (सहारनपुर) : इस्लामी शिक्षण संस्थान दारुल उलूम ने परिसर में महिलाओं के भ्रमण पर लगी रोक हटा ली है। संस्था ने कुछ नियमों के साथ महिलाओं को परिसर में घूमने की इजाजत दी है, लेकिन फोटो और वीडियो शूट अब भी प्रतिबंधित रहेगा। नए नियमों के तहत दारुल उलूम भ्रमण का पास जारी किया जाएगा। महिलाएं व युवतियां पूरी तरह पर्दे में रहकर महरम (अभिभावक, पति या कोई ऐसा पारिवारिक सदस्य, जिससे पर्दा न हो) के साथ संस्था में प्रवेश कर सकेंगी। अगले सप्ताह से यह व्यवस्था शुरू हो जाएगी।

मई में महिलाओं के भ्रमण पर रोक लगा दी थी। दरअसल, बाहर से संस्था में भ्रमण को आने वाली महिलाएं बेपर्दा घूमती थीं। बिना हिजाब फोटो भी खींचती थीं। वीडियो बनाकर गाने की एडिटिंग कर इन्हें प्रसारित कर देती थीं। इसके चलते संस्था ने महिलाओं के भ्रमण को प्रतिबंधित कर दिया था।

पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा... लिखकर दुनिया से रुख्सत हुए फहमी बदायूंनी

जासं, बदायूं : 'पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा' जैसी असंख्य गहरी पंक्तियां लिखने वाले फहमी बदायूंनी सोमवार को सिपुर्द-ए-खाक हो गए। वह काफी समय से सांस की बीमारी से जूझ रहे थे। उनका दिल्ली के एम्स में उपचार हुआ, मगर जान बचाई नहीं जा सकी। उनके अंतिम दर्शन साहित्यकार पहुंचे और कई शागिर्द भी। हर किसी की जुबां पर उनकी शायरी थी। जिसे गुनगुनाते हुए मानो श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही हो... 'मैं चुप रहता हूं इतना बोलकर भी, तू चुप रहकर भी कितना बोलता है।' 'तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, कैसे मिलता कहीं पे था ही नहीं।'

फहमी बदायूंनी

बिसौली के पठान टोला में जन्मे पुत्तन खां उर्फ फहमी बदायूंनी शब्दों के शिल्पी और अंकों के जादूगर थे। गणित में उनकी रुचि ने शिक्षक बना दिया। सेवानिवृत्ति के बाद भी अंकों की पहेली सुलझाते थे।

पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड
PETRONET LNG LIMITED
पंजीकृत कार्यालय: वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाबर रोड, बाराखंभा लेन, नई दिल्ली – 110001
फोन: 011-23411411, CIN: L74899DL1998PLC093073
ईमेल: investors@petronetlng.in, कंपनी की वेबसाइट: www.petronetlng.in
पैन: AAACP8148D जीएसटी: 07AAACP8148D1ZI

डाक मतपत्र की सूचना

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी डाक मतपत्र की सूचना में दिए गए विवरण के अनुसार निदेशक की नियुक्ति के लिए अपने सदस्यों से अनुमोदन चाह रही है।

विस्तृत डाक मतपत्र नोटिस, व्याख्यात्मक विवरण और ई-वोटिंग के निर्देश कंपनी की वेबसाइट www.petronetlng.in, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड पर https://www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर https://www.nseindia.com और ई-वोटिंग एजेंसी यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध हैं।

डाक मतपत्र कंपनियां (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014, ('नियम') और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के साथ पठित डाक मतपत्र कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 110 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार आयोजित किया जाता है।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने सामान्य परिपत्र सं.: 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 10/2021 दिनांक 23 जून, 2021, 20/2021 दिनांक 8 दिसंबर, 2021, 3/2022 दिनांक 5 मई, 2022, 11/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022, 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023, 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अन्य प्रासंगिक परिपत्रों और अधिसूचनाओं (जिन्हें आगे सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के माध्यम से कंपनियों को केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में नोटिस भेजकर डाक मतपत्र आयोजित करने की अनुमति दी है।

कंपनी ने अपने सदस्यों को अपने ईमेल पते पंजीकृत करने के लिए दिए जा रहे अवसर और उपलब्ध तंत्र के बारे में पहले ही सूचित कर दिया था, ताकि उन्हें ईमेल के माध्यम से विभिन्न संचार भेजे जा सकें।

जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे डीमैटेरियलाइज्ड मोड में रखे गए शेयरों के मामले में संबंधित डिपॉजिटरी के साथ अपना ई-मेल पंजीकृत करवा लें या भौतिक मोड में रखे गए शेयरों के मामले में कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए"), बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ अपना ई-मेल पंजीकृत करवा लें। ई-मेल के सफल पंजीकरण के बाद, सदस्य investor@bigshareonline.com पर ईमेल भेजकर पोस्टल बैलेट नोटिस और ई-वोटिंग की प्रक्रिया प्राप्त करने का अनुरोध कर सकते हैं ताकि इस पोस्टल बैलेट के लिए मतदान किया जा सके।

पोस्टल बैलेट नोटिस और ई-वोटिंग निर्देश, यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ उन सदस्यों को ईमेल द्वारा भेजे गए हैं, जिनके ईमेल पते कंपनी / आरटीए / संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं और जिनके नाम शुक्रवार, 18 अक्टूबर, 2024 ("कट-ऑफ तिथि") तक सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में दिखाई देते हैं। ईमेल प्रक्रिया सोमवार, 21 अक्टूबर, 2024 को पूरी हो गई है।

कंपनी ने अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) की सेवाएं ली हैं। रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शुक्रवार, 25 अक्टूबर, 2024 को सुबह 9:00 बजे (IST) से शुरू होगी और शनिवार, 23 नवंबर, 2024 को शाम 5:00 बजे (IST) समाप्त होगी। इसके बाद NSDL द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तारीख यानी शुक्रवार, 18 अक्टूबर, 2024 को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा रखे गए शेयरों के अनुपात में होंगे। सदस्यों की सहमति या असहमति का संचार केवल रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से होगा। केवल वे सदस्य जिनके नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में कट-ऑफ तारीख तक दर्ज हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डालने के हकदार होंगे। एक बार सदस्य द्वारा वोट डाल दिए जाने के बाद उसे बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से संबंधित सभी शिकायतें एनएसडीएल की वरिष्ठ प्रबंधक सुश्री पल्लवी म्हात्रे को evoting@nsdl.co.in पर भेजी जा सकती हैं या 022-4886 7000 पर कॉल की जा सकती हैं।

कंपनी के निदेशक मंडल ने पोस्टल बैलेट प्रक्रिया के संचालन के लिए मेसर्स अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज, दिल्ली (फर्म पंजीकरण संख्या: P2003DE049100) को जांचकर्ता नियुक्त किया है।

यदि प्रस्ताव, डाक मतपत्र के माध्यम से सदस्यों द्वारा अपेक्षित बहुमत से पारित कर दिया जाता है, तो उसे मतदान अवधि की अंतिम तिथि अर्थात 23 नवंबर, 2024 को पारित माना जाएगा।

डाक मतपत्र द्वारा मतदान का परिणाम मंगलवार, 26 नवंबर, 2024 को या उससे पहले घोषित किया जाएगा और यह कंपनी की वेबसाइट www.petronetlng.in, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट https://www.bseindia.com/ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट https://www.nseindia.com/ और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध होगा।

सदस्यों से सामान्य अपील

पर्यावरण के लिए अपना योगदान देने के हमारे प्रयास में हम आपके बहुमूल्य सहयोग और समर्थन की मांग करते हैं। हम सदस्यों से अपील करते हैं कि वे कंपनी से संचार प्राप्त करने के लिए अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (DP) (यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक मोड में हैं) या आरटीए / कंपनी (यदि शेयर भौतिक मोड में हैं) के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत/अपडेट करें।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे राष्ट्रीय स्वचालित क्लियरिंग हाउस (NACH) सुविधा का लाभ उठाएं, अर्थात अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी (DP) (यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखे गए हैं) या आरटीए/कंपनी (यदि शेयर भौतिक मोड में रखे गए हैं) के साथ बैंक विवरण अपडेट करके अपने बैंक खाते में लाभांश राशि का सीधा जमा प्राप्त करें।

विभिन्न सेबी परिपत्रों के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनियाँ अब से प्रतिभूति प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि जारी करने, दावा न किए गए सस्पेंस खाते से दावा करने, प्रतिभूति प्रमाणपत्र के नवीनीकरण/विनिमय, समर्थन, प्रतिभूति प्रमाणपत्र का उप-विभाजन/विभाजन, प्रतिभूति प्रमाणपत्र/फोलियो का समेकन, संचरण और स्थानांतरण उद्देश्यों के लिए सेवा अनुरोधों को संसाधित करते समय केवल डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ जारी करेंगी। तदनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी होल्डिंग्स को डीमैट रूप में परिवर्तित करवा लें।

भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने 3 नवंबर, 2021 को जारी परिपत्र सं.: SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 के माध्यम से कंपनी / RTA के साथ पैन, केवाईसी विवरण जिसमें पता, मोबाइल नंबर, ई-मेल पता, बैंक खाता विवरण और नामांकन विवरण शामिल हैं, को अपडेट करना अनिवार्य कर दिया है। भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने अपने उपरोक्त विवरण पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे जल्द से जल्द कंपनी / RTA के साथ इसे पंजीकृत करें।

बोर्ड के आदेश से
कृते पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड
एसडी/-
(राजन कपूर)
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 21.10.2024

तिर्वा ट्रांसमिशन लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: दूसरी मंज़िल, निर्यात भवन, रावतुलाराम मार्ग, वसंत विहार, आर्मी हॉस्पिटल रेफरल के सामने, नई दिल्ली-110057

सूचना

2024 की याचिका संख्या 2104

(विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उपधारा 2(i) के तहत)

उत्तरप्रदेश के भीतर इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन लाइसेंस प्रदान करने के लिए तिर्वा ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा आवेदन के मामले में

1. तिर्वा ट्रांसमिशन लिमिटेड, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित है, ने माननीय उत्तरप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी), लखनऊ के समक्ष धारा 14,15 (1), 86 (1) (d) के तहत एक आवेदन किया है। इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम स्थापित करने के लिए ट्रांसमिशन लाइसेंस देने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 का विवरण नीचे दिया गया है।

क्र.सं.	ट्रांसमिशन योजना दायरा	प्रभावी तिथि से एससीओडी
A.	संबंधित लाइन सहित 220/132/33kv, तिर्वा (कन्नौज) सबस्टेशन निर्माण:	
1	220/132/33kV सबस्टेशन, तिर्वा (कन्नौज) का निर्माण (एस/एस पर निम्नलिखित बे सहित):- 2x160 2x63 एमवीए • 220kV 160MVA ICT बे- 02 नग। • 132kV 160MVA ICT बे- 02 नग। • 132 केवी 63 एमवीए आईसीटी बे- 02 नग। • 33 केवी 63 एमवीए आईसीटी बे- 02 नग। • 220kV बे: फीडर बे- 02 नग, बस कपलर बे-01 नग, ट्रांसफर बस बे-01 नग। • 132kV बे: फीडर बे- 02 नग, बस कपलर बे-01 नग, ट्रांसफर बस बे-01 नग। • 33kV बे: फीडर बे- 10 नग (10MVAR कैपेसिटर बैंक के लिए बे सहित) ट्रांसफर बस कपलर बे- 01 नग।	18 महीने
2	220kV मैनपुरी (220) का LILO - 220kV तिर्वा सबस्टेशन पर भौती पीजी (400) एस/सी लाइन।	
3	220 केवी तिर्वा सबस्टेशन पर 132 केवी दिबियापुर-बिधूना से लाइन एलआईएलओ।	
B.	220 केवी तिर्वा सबस्टेशन पर 132 केवी दिबियापुर-बिधूना से लाइन एलआईएलओ।	
1	टीएचडीसी 2x660 मेगा वाट खुर्जा पावर प्लांट में 400 केवीडी/सी (ट्विनमूस) शामली-अलीगढ़ लाइन के एक सर्किट का एलआईएलओ	7 महीने

टिप्पणी:
टीएचडीसी खुर्जा पावर प्लांट एक सर्किट के एलआईएलओ के निर्माण के लिए 400 केवी की 02 बेज़ प्रदान करेगा और इसे जहां है के आधार पर तिर्वा ट्रांसमिशन लिमिटेड को सौंप दिया जाएगा।

2. माननीय यूपीईआरसी के समक्ष दायर किए गए ट्रांसमिशन लाइसेंस आवेदन की एक प्रति इस के अनुलग्नकों, अनुलग्नकों और अन्य दस्तावेजों के साथ वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका यूआरएल ttl.in.net/gallery है, जिसे कोई भी व्यक्ति एक्सेस कर सकता है। आवेदन मांग/अनुरोध पर किसी को भी श्री एम. रघु कुमार, निदेशक के साथ एस-2, टी.आई.ई., बालानगर, हैदराबाद, तेलंगाना - 500 037 पर तिर्वा ट्रांसमिशन लिमिटेड को उपलब्ध कराया जाएगा। (info@ttl.in.net)।
3. आपत्तियाँ या सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, उत्तरप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियम भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ - 226010 के समक्ष दाखिल किये जा सकते हैं; प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर, श्रीएम. रघुकुमार, निदेशक (info@ttl.in.net) को तिर्वा ट्रांसमिशन लिमिटेड के उपर्युक्त कार्यालय पते पर आपत्तियों/सुझावों की एक प्रति के साथ भेजें। अखबार में इस नोटिस की।
4. यदि माननीय यूपीईआरसी लाइसेंस आवेदन में संशोधन के परिणामस्वरूप किसी भी बाद के बदलाव की अनुमति देता है, तो तिर्वा ट्रांसमिशन लिमिटेड जनता की टिप्पणियों/सुझावों के लिए ऐसे बदलावों या संपूर्ण नोटिस को नए सिरे से प्रकाशित करेगा।

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 22.10.2024

तिर्वा ट्रांसमिशन लिमिटेड के लिए
श्री मंडलापर्थी रघु कुमार
निदेशक

****